

ØiÂiØ«i Ši¹iìì ÷ ;ðÑi¹iìì ĄéiÂiÑ¹iÂi

वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश C

ÀíÀì ðĀĒĒĀ ĠĀĪ सर्वश्री आर्शिया नार्दन एफटीडब्ल्यूडी। İİİÄİ; ; Ēē ē°ŊĬ ÄĬ "ÉĬÄĬ ,ÄĒÜÄĬĬĬ , ŠĬĬ°ŲĬĬ
„âé ÄĬŠĬĬĬ , İŠĬİİİ ÅĬĬन्दशहर में मुक्त व्यापार एवं भण्डारन हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम , 2005 के अन्तर्गत
अधिसूचना सं० का.आ.2793(अ) दिनांक 16 नवम्बर , 2010 द्वारा उपर्युक्त स्थान पर प्रस्तावित 11.363 हेक्टेयर क्षेती Éē
İİİ‡ मुक्त व्यापार एवं भण्डारण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है । इस अधिसूचना द्वारा सर्वश्री आर्शिया İĬĬĬ
‡âéĬİ;ÄĬÄĬŠĬİ; लिमिटेड के उक्तानुसार अधिसूचित मुक्त व्यापार एवं भण्डारण क्षेत्र को सीमा-शुल्क अधिनियंÄĬ , 1962
(1962 Ēēİ 52) Ēēİ İĬÄĬ-7 के अन्तर्गत अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो (Inland Container Depot) माने जाने के आदेश भी
İĬĬİĬİ İĒĚ‡ İĬİ Ü Ć

[illegible]

- (1) सर्वश्री आर्शिया नार्दन एफटीडीब्ल्यूडी लिमिटेड के उक्तानुसार अधिसूचित मुक्त व्यापार एवं भण्डारण क्षेत्र में कस्टम सील्ड कन्टेनर में माल का आयात किए जाने के अंतर्गत 38 अथवा यथास्थिति फार्म-39 के अनिवार्यता नहीं होगी।
- (2) उक्त प्रकार के कस्टम सील्ड कन्टेनर / वाहन से माल का आयात उक्तानुसार अधिसूचित मुक्त व्यापार एवं भण्डारण क्षेत्र में आयात करने वाला व्यापारी / व्यक्ति उपर्युक्त अधिसूचित मुक्त व्यापार एवं भण्डारण क्षेत्र में आयात करने के लिए अपने गन्तव्य के लिए करेगा तथा इन फार्मों का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार अपने करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष करेगा।
- (3) उपर्युक्त अधिसूचित मुक्त व्यापार एवं भण्डारण क्षेत्र से डिलीवरी लेने के उपरान्त प्रान्त में ऐसे माल के आयात करने के लिए अपने गन्तव्य के लिए करेगा तथा इन फार्मों का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार अपने करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष करेगा।
- (4) उपर्युक्त अधिसूचित मुक्त व्यापार एवं भण्डारण क्षेत्र से डिलीवरी लेने के उपरान्त प्रान्त में ऐसे माल के आयात करने के लिए अपने गन्तव्य के लिए करेगा तथा इन फार्मों का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार अपने करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष करेगा।

(35) ॐ०३० ॐॐ० ॐ०० उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सल्तानपुर रोड,रायबरेली ।

[illegible]